राजस्व वाद संख्याः–24 / 2023
गुरूदयाल वगै0 बनाम चान्दकौर वगै0
निर्णय दिनांकः– 20.06.2025

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन उप जिला कलक्टर सूरजगढ़ झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारीः– **श्रीमती सुमन देवी II(आर.ए.एस.)**

मु0नं0 24 / 2023

01. गुरुदयाल पुत्र रूघाराम जाति जाट निवासी घूमनसर कलां तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
02. दिनेश कुमार पुत्र धर्मेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी घूमनसर कलां तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
03. सन्तोष देवी पत्नि धर्मेन्द्र सिंह जाति जाट निवासी घूमनसर कलां तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान ।

– प्रार्थीगण

बनाम

1. चान्दकोर पुत्री अमीलाल जाति जाट निवासी घूमनसर कलां तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
2 दर्शना देवी पत्नि महताब जाति जाट निवासी घूमनसर कलां तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
3. प्रियंका पुत्री महताब जाति जाट निवासी घूमनसर कलां तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
4. रविन्द्र कुमार पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी घूमनसर कलां तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
5. रामपत पुत्र अमीलाल जाति जाट निवासी घूमनसर कलां तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान ।
6. रोहित पुत्र महताब जाति जाट निवासी घूमनसर कलां तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान ।
7. सुमित्रा पुत्री अमीलाल जाति जाट निवासी घूमनसर कलां तहसील सूरजगढ़ जिला झुन्झुनू राजस्थान।
8. पंजाब नैशनल बैंक शाखा पिलानी तहसील सूरजगढ़ जिला झुझुनू राजस्थान जरिये शाखा प्रबन्धक ।
9. तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) तहसील सूरजगढ जिला झुन्झुनू राजस्थान

अनावेदकगण

<u>प्रार्थना पत्र अ0धा0 251 (क) उपधारा (1)</u>
<u>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955</u>
<u>निर्णय</u>

संक्षेप में तथ्य प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि प्रार्थी ग्राम घूमनसर कलां पटवार हल्का घूमनसर कलां तहसील सूरजगढ की सरहद में भूमि हाल खसरा नम्बर 484 रकबा 3.61 हैक्टर कुल किता 1 कुल रकबा 3.61 हैक्टर स्थित है जो कि प्रार्थीगण की पैतृक व संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि है जिस पर प्रार्थीगण काबिज व काश्त है।

यह कि भूमि खसरा नम्बर 264 रकबा 0.73 हेक्टर, खसरा नम्बर 483 रकबा 3.52 हैक्टर, खसरा नम्बर 494 रकबा 1.83 हैक्टर कुल किता 03 कुल रकबा 6.08 हैक्टर स्थित है जो अप्रार्थीगण नम्बर 01 लगायत 7 की संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि स्थित है। जिस पर काबिज व काश्त है।

यह कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खसरा नम्बर 484 रकबा 3.16 हैक्टर मौजा घूमनसर कलां में आने जाने हेतु रास्ता अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 07 की भुमि खसरा नम्बर 483 रकबा 3.52 हेक्टर की पश्चिम सीमा के सहारे सहारे प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 484 में से उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा में जाता है जो कि उत्तर दिशा में घूमनसर कलां से तोखा का बास जाने वाली सड़क पर मिलता है। इस रास्ते के अलावा खसरा नम्बर 484 की भूमि में आने जाने हेतु और कोई नजदीकी वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है।

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

राजस्व वाद संख्याः–24 / 2023
गुरूदयाल वगै0 बनाम चान्दकौर वगै0
निर्णय दिनांकः– 20.06.2025

यह कि खसरा नम्बर 484 की भूमि में काश्त करने के लिए ट्रैक्टर आदि आने जाने तथा स्वयं के द्वारा भी आने जाने के रूप में खाली भूमि होने पर रास्ते के रूप में कदीम से काम में लिया जाता रहा है। फसल जुताई के बाद प्रार्थीगण का रास्ता अवरूद्ध हो जाता है। प्रार्थीगण के खेत में आने जाने के लिए खसरा नम्बर 483 की भूमि से गुजरते हुए सड़क तक जुड़ जाता है तथा प्रार्थीगण का आवागमन सुलभ हो जाता है। प्रार्थीगण रास्ते की भूमि बाबत सरकार द्वारा निर्धारित राशियां बदले में भूमि या जो भी माननीय न्यायालय निर्धारित करें वह भी देने को तैयार है।

यह कि उक्त रास्ते हेतु प्रार्थीगण ने अप्रार्थीगण संख्या 1 लगायत 7 से कई बार समझाईस भी की एवं रास्ते की भूमि के रूप में जितना क्षेत्रफल काम आ रहा है उसके बदले प्रतिफल भी देने के लिए प्रार्थीगण ने बात की परन्तु अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 07 नहीं माने एवं रास्ता देने से अप्रार्थी नम्बर 01 लगायत 07 ने साफ इंकार कर दिया।

यह कि प्रार्थीगण को अपने खेत खसरा नम्बर 484 में आने जाने के लिए 4 मीटर चौडाई के रास्ते की आवश्यकता है जिससे वह स्वयं, कृषि मजदूर एवं कृषि उत्पादन ट्रैक्टर सुगमता से जा सके।

यह कि उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के खेत में आने जाने का कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण को रास्ते के अभाव में अपने खेत में जाना बड़ा मुश्किल हो रहा है तथा रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में प्रार्थीगण जो कृषि भूमि पर निर्भर है अपनी आजिविका से वंचित रह जायेंगे। प्रस्तावित रास्ते की नजरी नक्शे में लाल स्याही से अंकित किया जा रहा है, जिसको राजस्व रिकॅार्ड में दर्ज किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 484 मौजा घूमनसर कलां में आने जाने के लिए नजरी नक्शे के मुताबिक खेत खसरा नम्बर 483 अप्रार्थी नम्बर 01 लगायत 07 की भूमि में से पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे घूमनसर कलां खेड़ला का बास जाने वाली सड़क से उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर आने जाने हेतु 4 मीटर चौड़ाई का रास्ता दिया जाकर राजस्व रिकॅार्ड में दर्ज किये जाने के अप्रार्थी नम्बर 09 को आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र पेष होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं तहसीलदार पिलानी से मौका जांच रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गयी । अनावेदकगण संख्या 01, 02, 04 एवं 05, 06, 07 की और से श्री राजेश योगी एडवोकेट द्वारा वकालतनामा पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 03 के खिलाफ एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। तहसीलदार पिलानी से मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अनावेदकगण की और से अधिवक्ता श्री राजेश योगी द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र एवं आपत्ति प्रार्थना पत्र मौका जांच रिपोर्ट पेश किया गया जो शामिल पत्रावली किया गया। उक्त मौका जांच रिपोर्ट पर वकील पक्षकारान की बहस सुनी गयी। बहस एवं तहसीलदार से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट कमांक भू0अ0 / 2023 / 800 दिनांक 17.08.2023 का अवलोकन किया गया । उक्त मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा आवेदक की भूमि के कोई स्वीकृतषुदा रास्ता नही लगता है। आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई कम दुरी का रास्ता नही लगता हैं । राजस्व रिकार्ड के अनुसार आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नही है जो मौके पर चालू हो। उक्त मौका जांच रिपोर्ट एवं बहस का अवलोकन एवं मनन पश्चात एवं उपर्युक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए आपत्ति प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

बहस सुनी गई

वकील आवेदक की बहस सुनी गयी तहसीलदार से प्राप्त मौका जांच रिपोर्ट कमांक कमांक भू0अ0 / 2023 / 800 दिनांक 17.08.2023 का अवलोकन किया गया उक्त मौका जांच रिपोर्ट के अनुसार आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा आवेदक की भूमि के कोई स्वीकृतषुदा रास्ता नही लगता है। आवेदक द्वारा चाहे गये रास्ते के अलावा अन्य कोई कम दुरी का रास्ता नही लगता हैं । पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। इस प्रकार तहसीलदार पिलानी की मौका रिपोर्ट कमांक कमांक भू0अ0 / 2023 / 800 दिनांक 17.08.2023 के साथ पेश नजरी नक्षा में दर्षित भूमि प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 484 मौजा घूमनसर कलां में आने जाने के लिए नजरी नक्शे के मुताबिक खेत खसरा नम्बर 483 अप्रार्थी नम्बर 01 लगायत 07 की भूमि में से पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे घूमनसर कलां खेड़ला का बास जाने वाली सड़क से उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा

उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ

की ओर आने जाने हेतु 4 मीटर चौड़ाई का रास्ता कुल क्षेत्रफल 400 वर्गमीटर कायम किया जाना न्यायोचित पाता है।

आदेश

तहसीलदार पिलानी की मौका रिपोर्ट कमांक कमांक भू0अ0 / 2023 / 800 दिनांक 17.08.2023 के साथ पेश नजरी नक्षा में दर्षित भूमि प्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 484 मौजा घूमनसर कलां में आने जाने के लिए नजरी नक्शे के मुताबिक खेत खसरा नम्बर 483 अप्रार्थी नम्बर 01 लगायत 07 की भूमि में से पश्चिमी सीमा के सहारे सहारे घूमनसर कलां खेड़ला का बास जाने वाली सड़क से उत्तर दिशा से दक्षिण दिशा की ओर आने जाने हेतु 4 मीटर चौड़ाई का रास्ता कुल क्षेत्रफल 400 वर्गमीटर कायम किया जाना न्यायोचित पाता है। तहसीलदार पिलानी को निर्देशित किया जाता है कि वह रास्ते में जाने वाली भुमि खसरा संख्या 484 के खातेदारो के हिस्से अनुसार कम कर खसरा संख्या 483 के सहखातेदारों मे हिस्से अनुसार दर्ज की जावे। रास्ते के नाप में अगर कोंई परिवर्तन होता है तो तहसीलदार अपने स्तर पर निस्तारण करे व रास्ते में आने वाले पेड़ या अन्य बाधा को हटाया जाता है तो उसका हर्जा खर्चा प्रार्थी से वसूल किया जावे तथा राजस्व रिकार्ड में रास्ते को अमल दरामद करे। तहसीलदार पिलानी की रिपोर्ट निर्णय का भाग रहेगा।

(श्रीमती सुमन देवी II आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़

यह निर्णय आज दिनांक 20.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर इस न्यायालय की मुद्रा से सरे इजलास में सुनाया गया।

(श्रीमती सुमन देवी II आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़
उपखण्ड अधिकारी
सूरजगढ़